न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
392/2016/वाद पत्र	01.09.2016	18.05.2017

उनवान

1– गट्टू पत्नि मिश्री चमार निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
2– रामदेव पिता मिश्री चमार निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– मिश्री पिता लक्ष्मण चमार निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
2– श्रवण पिता लक्ष्मण चमार निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री गोविन्दसिंह हाड़ा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पुस्तेनी संयुक्त खाते की आराजीयात ग्राम धनोप के खाता संख्या 595 आ0न0 2356 रकबा 0.01 है0, आ0न0 2357 रकबा 0.43 है0, आ0न0 2415 रकबा 0.51 है0, आ0न0 2522 रकबा 0.31 है0, आ0न0 2524 रकबा 0.04 है0, आ0न0 2525 रकबा 0.25 है0, आ0न0 2527 रकबा 0.37 है0, कुल किता 07 रकबा 1.92 है0 स्थित है। जिसमे प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 का 2/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पति व पिता है जो भूमि को बेचान कर आराजीयात से वादीगण को महरूम करना चाहते है जबकि उक्त आराजीयात पुस्तेनी होने से प्रतिवाद नं0 1 को बेचने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी नं0 2 व 3 से कोई दाद नही चाही गई है। प्रतिवादी नं0 2 सहखातेदार होने एवं प्रतिवादी नं0 3 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। अतः वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे आने वाली आराजीयात का वादीगण को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अपने हिस्से की आराजीयात को न तो विक्रय करे न खुर्द बुर्द करे न किसी अन्य को रहन रखे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.2016 को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा – 2017 अटल सेवा केन्द्र धनोप पर रखा गया। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो

अभिभाषक वादीगण ने बताया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम धनोप मे स्थित होकर पुस्तेनी है। वादिया नं0 1 पत्नि व वादी नं0 2 पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि विक्रय करने पर आमादा है यदि उसके द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई तो वादीगण उनके हक हिस्से से महरूम हो जायेगे एवं भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 595 आ0न0 2356 रकबा 0.01 है0, आ0न0 2357 रकबा 0.43 है0, आ0न0 2415 रकबा 0.51 है0, आ0न0 2522 रकबा 0.31 है0, आ0न0 2524 रकबा 0.04 है0, आ0न0 2525 रकबा 0.25 है0, आ0न0 2527 रकबा 0.37 है0, कुल किता 07 रकबा 1.92 है0 स्थित है। जिसमे प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है का वादीगण को हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2017 को केम्प धनोप पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

राजस्व लोक अदालतअभियान न्यायआपकेद्वार–2017

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

इजलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

1– नट्टू पत्नि मिश्री चमार निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
2– रामदेव पिता मिश्री चमार निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– मिश्री पिता लक्ष्मण चमार निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
2– मदन पिता लक्ष्मण चमार निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
3– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–188 आर0टी0ए0**
मुकदमा नम्बर **392/2016 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......X......... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी नं0 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 596 आ0न0 2356 रकबा 0.01 है0, आ0न0 2357 रकबा 0.43 है0, आ0न0 2415 रकबा 0.51 है0, आ0न0 2522 रकबा 0.31 है0, आ0न0 2524 रकबा 0.04 है0, आ0न0 2525 रकबा 0.25 है0, आ0न0 2527 रकबा 0.37 है0, कुल किता 07 रकबा 1.92 है0 स्थित है। जिसमे प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है का वादीगण को हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे।**

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 18 माह 05 सन् 2017** को जारी की गई।